XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग. 1132 –पीबीआर/15 जिला – सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28.5.2015	आवेदकगण एवं केवियटकर्ता के विद्वान अभिभाषकों द्वारा ग्राह्यता एवं स्थगन पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 1.5.2015 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा बिना आवेदकगण को सूचना दिये उनके पीठ–पीछे स्थल निरीक्षण किंया जाकर अंतरिम रूप से रास्ता खोले जाने का आदेश देने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदकगण के लिये वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने के बावजूद् आवेदकगण की भूमि में से रास्ता देने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है । प्रत्युत्तर में केवियटकर्ता के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 1.5.2015 का कियान्वयन हो चुका है, अतः यह निगरानी निरर्थक होने से निरस्त की जाये । 2/ तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् स्थल निरीक्षण किया गया है, और स्थल निरीक्षण में प्रश्नाधीन रास्ता अवरूद्ध किया जाना पाया गया है, अतः उनके द्वारा अंतरिम रूप से रास्ता खोले जाने का आदेश देने में प्रथम दृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा प्रकरण में अंतरिम आदेश पारित किया गया है, और प्रकरण का अंतिम निराकरण होना है, जहां आवेदकगण को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त	

अवसर उपलब्ध है, और वे प्रश्नाधीन रास्ता नहीं होने अथवा उसे अवरूद्ध नहीं किये जाने के तथ्य को प्रमाणित कर सकते हैं । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष

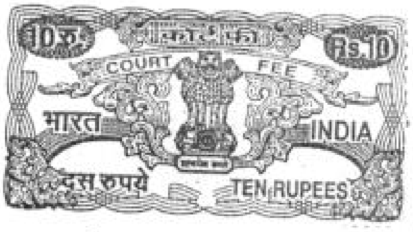

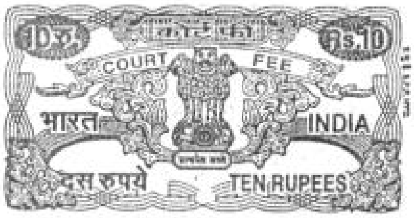

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.) भोपाल

निगरानी 1132-PBR-15 प्र.क्र.....................

1. बश्रूददीन आ. नसरूददीन
2. रफीक खाँ आ. वहीद खाँ

निवासी एवं कृषक ग्राम पानविहार तहसील श्यामपुर जिला सीहोर

.... निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. बद्रीप्रसाद आ. हजारीलाल
2. रूकमणीबाई पत्नी बद्रीप्रसाद
3. रामेश्वर आ. बद्रीप्रसाद
4. हिरदेश आ. बद्रीप्रसाद
5. जीवनसिंह आ. बद्रीप्रसाद
6. कुमेर सिंह आ. देवकरण जाति दांगी

सभी निवासी व कृषक ग्राम पानविहार तहसील श्यामपुर जिला सीहोर

7. म.प्र. शासन व्दारा तहसीलदार महोदय श्यामपुर जिला सीहोर

.... उत्तरदाता

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार, तह. श्यामपुर जिला सीहोर के प्रकरण क्रमांक-12/अ-13/14-15 में पारित आदेश 01/5/15 से व्यथित होकर समयअवधि मे यह निगरानी माननीय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।